

**पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)**

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर भालेरी

अनुवान भानीराम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - १३५/२०२५

निर्णय दिनांक ..... ०२/०७/२५

भानीराम पुत्र उमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

**-::निर्णय::-**

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर भालेरी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 31 खसरा नं. 62 तादादी 8.9906 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम गलगटी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का निवास स्थान जिगासरी त. भादरा (हनुमानगढ) दर्ज है जो कि गलत है सही निवास स्थान भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का निवास स्थान भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम गलगटी तहसील तारानगर के खाता संख्या 31 खसरा नं. 62 तादादी 8.9906 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का निवास स्थान जिगासरी त. भादरा (हनुमानगढ) Delete कर इसके स्थान पर निवास स्थान भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ०२/०७/२५ को कैम्प कोर्ट भालेरी में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)